तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 41/2021 जीसीएमएस : 2021/69 प्रीतपाल कौर बनाम गुरदीप सिंह आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
19.12.2025	वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन कर वाद पत्र अन्तिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया, वकील वादी अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 18 व 19 के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को रेणू पत्नी बिकर लाल को विक्रय किया गया है, जो विवादित भूमि में बतौर सहखातेदार अंकित हो गई है तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित है। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 26.03.2025 को वाद पत्र प्रारम्भिक डिक्री करते हुए "तहसीलदार श्रीविजयनगर संयुक्त खाता की विवादित भूमि चक 36 जीबी खाता सं. 109 में दर्ज मु.नं. 37 व 31 की कुल 5.123है. नहरी भूमि में वादी के 1943/5123 हिस्सा का अन्य सहखातेदारान/प्रतिवादीगण से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का रास्ता व सिंचाई सुविधा के मध्यनजर किलेवाईज विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।" आदेश पारित किये गये थे। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/3434 दिनांक 29.10.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा सहमति प्रकट की गयी है। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 18 व 19 विवादित भूमि में सहखातेदार नहीं है तथा रेणु पत्नी बिकर लाल के नाम से भूमि दर्ज हो गई है, तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में रेणु पत्नी बिकर लाल बतौर सहखातेदार दर्ज है। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया, विभाजन प्रस्ताव पर रेणु पत्नि बिकर लाल के हस्ताक्षर अंकित है। रेणु पत्नी बिकरलाल के द्वारा प्रकरण की पूर्ण जानकारी होने के बाद भी विभाजन प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित भूमि चक 36 जीबी खाता सं. 109 में दर्ज मु.नं. 37 व 31 की कुल 5.123है. नहरी में वादी का अन्य प्रतिवादीगण/सहखातेदारान से रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज 1943/5123 हिस्सा का अद्योलिखित अनुसार खाता विभाजन किया जाता है :	

1	**वादी** प्रीतपाल कौर पत्नी अमृतपाल सिंह	चक 36 जीबी प.नं. 189/430 मु.नं. 31 कि.नं. 2 ता 4 का 0.759है., 7/0.253, 14/0.253, 15/0.127, 16—17/0.506, 23/2/0.045 कुल 1.943है. नहरी

शेष भूमि सहखातेदार/प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में यथावत रहेगी। शेष अंकन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर उपर्युक्तानुसार वादी के नाम से विभाजित भूमि का पृथक खाता में अमल दरामद करें।" इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर रिकार्ड दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:43:12 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर